<u>न्यायालय:- जिला न्यायाधीश, धौलपुर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी: संजीव मागो, RJS (DJ Cadre)
मूल वाद पत्र संख्या 32/14
CIS 1198/15

मुन्नी देवी पुत्री हेमसिंह पत्नी रुप सिंह निवासी मन्सूरपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज०)

-वादिया

-बनाम -

1. जगन्नाथ
2. साहब सिंह

पुत्रगण तोता निवासी ग्राम मन्सूरपुरा तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर

3. भूरी पत्नी लक्ष्मी पुत्री तोता निवासी सोलह खम्भा धौलपुर
4. त्रिवेणी पत्नी जगदीश पुत्री तोता निवासी बसई ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश
5. विशन देवी उर्फ किन्नो पत्नी विजेन्द्र पुत्री तोता निवासी खेरागढ तहसील खेरागढ जिला आगरा उत्तर प्रदेश
6. चमेली पत्नी रोशन पुत्री तोता निवासी मन्सुरपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
7. बाबू पुत्र भोला निवासी मन्सूरपुरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर **(मृत दौराने वाद)**

7/1. कुमारी प्रतिज्ञा दत्तक पुत्री बाबू, निवासी मन्सूरपुरा, तहसील सैंपऊ, जिला-धौलपुर

8. नथिया बेबा पीतम निवासी मन्सूरपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

-असल प्रतिवादीगण

9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसई नबाब जरिये शाखा प्रबंधक बसई नवाब
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सैपऊ धौलपुर

-प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते विभाजन आबादी भूमि एवं आराजी काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित:-

01. **विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कमठान वादिया की ओर से।**

02. **विद्वान अधिवक्ता श्री शरीफ खान & Miss. Kirti Singh Adv. प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, 6, 7 की ओर से।**

03. **प्रतिवादीगण 3, 4, व 8, 9, 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**

-निर्णय - **दिनांक 23.03.2026**

1. वादिया मुन्नी देवी द्वारा एक वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 25.04.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 संयुक्त परिवार के सदस्य है, जिनके पूर्वज थोला थे

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

तथा वादिया एवं प्रतिवादीगण का शिजरा के अनुसार थोला के उत्तराधिकारीगण 1. तोता (फौत) 2. बाबू (प्रतिवादी सं. 7) 3. पीतम 4. हेमसिंह है। तोता के उत्तराधिकारीगण जगन्नाथ, साहबसिंह, भूरी, त्रिवेनी, विशनदेवी उर्फ किन्नो, चमेली जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 है ।

2. वादपत्र की मद संख्या 2 में विवादित संपत्ति का वर्णन निम्न प्रकार से हैः- **परिशिष्ट अ** संलग्न नक्शा वादपत्र में रंग पीले से प्रदर्शित एवं अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ से प्रदर्शित की गई है । चतुर्थ सीमाए उत्तर में रास्ता, दक्षिण में रास्ता व मकानियत अन्य, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में मकानियत जनका व बहादुर स्थित ग्राम मन्सूरपुरा तहसील सैपऊ है । उक्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज थोला के स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति थी, जिसे थोला अपने जीवन पर्यन्त तक उपयोग व उपभोग करते रहे । कालांतर में थोला के उत्तराधिकारीगण तोता, बाबू, पीतम, हेमसिंह ने उक्त संपत्ति का पारिवारिक समझौता करते हुए वाहमी बंटवारा इस प्रकार कर लिया कि 1/4 भाग तोता, 1/4 भाग बाबू, 1/4 भाग पीतम, 1/4 भाग हेमसिंह जिसको नक्शा सलंग्न वादपत्र में कत्थई रंग से बताए गए हिस्से पर तोता तथा तोता के देहान्तोपरांत जगन्नाथ व साहबसिंह हिस्सेदार हुए तथा नक्शा सलंग्न वादपत्र में हरे रंग से सीमांकित भूमि पर पीतम व बाबू काबिज हुए तथा लाल रंग से प्रदर्शित एवं अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व, स, ह एवं डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड पर हेमसिंह आधिपत्य व स्वामित्व धारण हुए **परिशिष्ट ब** में आराजीयात खसरा कुल 10 रकवा 13 बीघा 17 विस्वा स्थित ग्राम मन्सूरपुरा पटवार हल्का कोलारी तहसील सैपऊ को वादपत्र की आगामी चरणों में विवादित संपत्ति आबादी भूमि व आराजी काश्त से संबोधित किया जावेगा ।

3. वादिया वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित विवादित संपत्ति जिनका वर्णन परिशिष्ट अ, ब से किया गया है में 1/4 भाग की स्वामिनी व आधिपत्यधारी है, जो अपने पिता हेमसिंह जिनका देहांत 25.01.1987 में हो गया, उनके देहान्तोपरांत नक्शा सलंग्न वादपत्र में लाल रंग से सीमांकित व अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व, स, ह व डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड पर स्वामित्व व आधिपत्य धारण करते हुए उसका उपयोग उपभोग निरंतर करती चली आ रही है, जिसको आज तक किसी ने किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी क्योंकि पूर्व में हेमसिंह, पीतम, बाबू तथा तोता ने जिस प्रकार स्वयं का विभाजन कर आधिपत्य व स्वामित्व प्राप्त किया तथा उसी प्रकार निरंतर रूप से उपयोग उपभोग कर रहे हैं, किंतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की नीयत में बदी आ जाने के कारण तथा पूर्व में वाहमी बंटवारे को ना मानते हुए वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य के मकानियत व

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

भूखण्डों पर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण करना चाहते हैं, जिसका अधिकार उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं है तथा परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी विवादित को विशिष्ट हिस्से को विक्रय कर वादिया को उसके आधिपत्य व स्वामित्व की आराजी में तथा उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। वादिया विवादित आराजी में भी 1/4 भाग की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 1/24, प्रतिवादी संख्या 2 7/24 भाग का हिस्सेदार है, क्योंकि उसने नथिया वेवा पीतम का 1/4 हिस्सा जरिये वयनामा खरीद कर लिया है, जिसकी नामांतकरण संख्या 324 दिनांक 20.09.2013 है तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 व हिस्सा बराबर 1/24, 1/24 तथा प्रतिवादी संख्या 7 1/4 भाग के सहखातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अनाधिकृत रुप से वादिया के कब्जे की मकानियत व भूखण्ड पर अनाधिकृत आधिपत्य कर जबरदस्ती निर्माण करना चाहते हैं, जिसका अधिकार उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं है। वादिया ने प्रतिवादीगण से वाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा किए जाने का कई बार निवेदन किया, किंतु प्रतिवादीगण बंटवारे के लिए टालते रहे। वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य तथा उसके उपयोग उपभोग के भूखण्ड पर मिट्टी व खण्डे डालने लगे, वादिया ने मना किया तथा निवेदन किया कि विवादित संपत्ति का आपस में राजीखुशी से व सहमति के आधार पर न्यायालय में जाकर विभाजन करा लिया जावे उसके उपरांत अपने अपने हिस्से में निर्माण कार्य व काश्त की जा सके, इससे समस्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 इंकारी हुए और कथन किया कि हम तुमसे शरीर में लठ्ठ से पैसे से तथा पहुंच से काफी शक्तिशाली है, तुम्हें लट्ठ मारकर गांव से भगा देंगे तथा संयुक्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व व आधिपत्य कर लेंगे तथा वादिया को बेदखल कर देंगे तथा वादिया के परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 9 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसईनवाब को तरतीवी पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि उसके यहां वादिया मुन्नीदेवी ने स्वयं का 1/4 हिस्सा विवादित आराजी में से रहन रखा हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 10 राजस्थान सरकार को आराजी काश्त का भूस्वामी होने के कारण पक्षकार प्रकरण बनाया गया है, इन दोनों प्रतिवादीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । वाद वादिया वादकारण के दिवस के अंदर अवधि प्रस्तुत है। अंत में निवेदन किया कि वाद वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 मय हर्जा खर्चा के निम्न रुप से निर्णीत व डिक्री किया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 अ में तथा नक्शा संलग्न वाद पत्र में वर्णित संपत्ति में वादिया 1/4 भाग की तथा पूर्व में वाहमी बंटवारे के अनुसार जो संपत्ति वादिया के हिस्से में नक्शा संलग्न वाद पत्र में लाल रंग से सीमांकित एवं अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व, स, ह

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

एवं डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड में वादिया के हिस्से में बंटवारे के अनुसार प्रदान की जावे एवं कत्थई रंग से सीमांकित की गई संपत्ति जगन्नाथ व साहब सिंह के हिस्से में तथा हरे रंग से सीमांकित संपत्ति नथिया पत्नी पीतम व बाबू के हिस्से में की जावे। वादपत्र की मद संख्या 2 ब में वर्णित आराजीयात का विभाजन वादिया का 1/4 भाग तथा अन्य प्रतिवादीगण का अभिलिखित हिस्सानुसार विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादिया के कब्जे की मकानियत व भूखण्ड में तथा उसके भाग तक आराजी काश्त में किसी भी प्रकार से स्वयं अथवा अपने अभिकर्ताओं द्वारा विघ्न बाधा उत्पन्न न करे तथा वादिया को उसके हिस्से की संपत्ति में शांतिपूर्वक निवास एवं उसका उपयोग व उपभोग व काश्त करने से किसी प्रकार नहीं रोके ।

4. प्रकरण में प्रतिवादी सं. 3, 4, व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है, उसकी ओर से कोई उत्तर वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 की ओर से जबाव वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र के अधिकांश अभिवचनों को अस्वीकार किया गया व अभिवचन किया कि नक्शा वादिया द्वारा गलत पेश किया गया है, उत्तरदातागण के निर्माण पूर्व से ही है तथा मौके पर भी साधिकार रुप से कब्जा है व चला आ रहा है। काश्त बाबत दावा काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं है। न्यायशुल्क कम दिया गया है वाद पत्र वादिया पोषणीय नहीं है, काबिले खारिजी के है। साथ ही विशेष कथन किए कि वादपत्र की मद संख्या 1 अ में वर्णित कथित बाहमी बंटवारा काफी अर्सा पूर्व स्व० हेमसिंह के समय उनके होश हवास व सहमति से हो गया। हेमसिंह का निधन दिनांक 25.01.1987 को न होकर दिनांक 14.02.2011 को हुआ था तथा उनकी सारी सेवा सुश्रुषा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही करते थे। जवाब दावे के साथ संलग्न नक्शे में वर्णित पीले रंग से दर्शायी संपत्ति जिसे सलंग्न नक्शा हाजा में ए, बी, सी, डी, ई, आई, जे, के, एल, एम तथा वी, डब्ल्यू, एक्स वाई से प्रदर्शित किया है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की सम्मिलित हिस्से की संपत्ति है जो 1981 में वाहमी बंटवारे द्वारा प्राप्त हुई थी। वाद पत्र में वादिया ने जिस आराजी का विवरण किया है, उसमें स्व० तोता का 1/4 हिस्से उसके वारिसों को प्राप्त हुआ, जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 है तथा प्रतिवादिया नं० 8 नथिया ने आराजी खसरा नं० 897, 899, 906, 909, 925, 928 छ रकवा 8 बीघा 8 विस्वा में से 1/4 भाग अपना संपूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 साहबसिंह का जरिये बयनामा विक्रय कर दिया, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 8 नथिया का ख०न० 807, 813, 890, 907 में ही हिस्सा शेष रहा है, उक्त अपने हिस्से के भी पूर्व में नथिया प्रतिवादी संख्या 8 साहबसिंह के हक में

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

वसीतय कर चुकी है, क्योंकि नथिया के कोई औलाद नहीं है तथा वह प्रतिवादी संख्या 2 के ही पास रहती है । स्व० हेमसिंह पिता वादिया के हक में खसरा नंबर 813 रकवा एक बीघा 16 विस्वा ख०न० 897 रकवा 12 विस्वा में से 1/2 की ओर का हिस्सा तथा खसरा नं० 899 रकवा एक बीघा 13 विस्वा में से पांच विस्वा आराजी पूर्वी दक्षिणी कोने की ओर खसरा नं० 925 एक बीघा दो विस्वा स्व० हेमसिंह के हिस्से में वाहमी बंटवारा से आयी तथा उसी के अनुसार काबिज है व काश्त कर रहे थे। स्व० हेमसिंह आपराधिक प्रवृत्ति के थे तथा उनके इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने 1981 में आबादी भूमि व आराजीयात को अपने भाईयों से वाहमी बंटवारा करा लिया था। विवादित आराजीयात का भी पूर्व में वाहमी बंटवारा हो चुका है, फिर भी यदि वादिया के मन में बदनीयती व बेईमानी है तो न्यायालय से उत्तरदातागण विकल्प में आराजीयात का वाई मीट्स एण्ड बाउंड बंटवारा कराने को सहमत है। अंत में निवेदन किया कि यह राजस्व न्यायालय का मामला है या यदि वादिया उसका पुनः वाई मीट्स एण्ड बाउंड बंटवारा चाहती है तो प्रारंभिक डिक्री सहमति से बनायी जावे मुताबिक अभिलिखित हिस्सेनुसार बंटवारा किया जावे ।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्न विवाद्यक कायम किये गये:-

1. आया वादी वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित एवं परिशिष्ट अ संलग्न नक्शा में दर्शित संपत्ति पक्षकारों के पैतृक, संयुक्त स्वामित्व कब्जे की संपत्ति है तथा पारिवारिक समझौता अनुसार पक्षकारान 1/4-1/4 भाग पर काबिज है ?

.......वादी

2. आया वादी विवादित संपत्ति में बंटवारा कराने के अधिकारी है?

.... वादी

3. अनुतोष ?

7. साक्ष्य वादी में **पी.डब्ल्यू.1 मुन्नीदेवी, पी.डब्ल्यू. 2 भगवान सिंह** के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा वादीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में नक्शा संलग्न दाव मकान प्र. 1, व विवादित आराजीयात की जमाबन्दी प्र. 2 दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

8. प्रतिवादीगण की ओर से डी डब्ल्यू.-1 के रूप में साहब सिंह को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजीय साक्ष्य में सत्यापित प्रतिलिपि दावा मुन्नी देवी

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

बनाम रामस्नेही, साहब सिंह प्रदर्श ए-1, मुन्नीदेवी के वादपत्र का नक्शा प्रदर्श ए-2, नक्शा नजरी प्रदर्श ए-3, असल यादनामा प्रदर्श ए-4, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए-4/1, सिविल न्यायाधीश धौलपुर में प्रस्तुत दावा में पेश मुन्नीदेवी का शपथ पत्र प्रदर्श ए-5, प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका मुन्नीदेवी बनाम रामस्नेही वगैरह दिनांक 01.03.2017 प्रदर्श ए-6 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराये गये।

9. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः-

विवाद्यक सं. 1

10. इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पक्ष पर रखा गया है, इस विवाद्यक के माध्यम से वादी पक्ष् को यह साबित करना है कि वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित एवं परिशिष्ट "अ" संलग्न नक्शा में दर्शित संपत्ति पक्षकारों के पैतृक, संयुक्त स्वमित्व कब्जे की संपत्ति है तथा पारिवारिक समझौता अनुसार पक्षकारान 1/4-1/4 भाग पर काबिज हैं?

11. इस विवाद्यक के संबंध में बहस के दौरान अधिवक्ता वादिया का कथन रहा है कि विवादित संपत्ति परिशिष्ट अ व ब, पक्षकारान के पूर्व पुरूष थोला की संपत्ति थी, जो वादिया के पिता एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4, 5 6 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 7 व प्रतिवादी सं. 8 के पति को विरासत में प्राप्त हुई थी, उक्त संपत्ति में वादी एवं प्रतिवादी पक्ष का पारिवारिक समझौता अनुसार बाहमी बंटवारा कर उपयोग उपभोग करते रहे। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 द्वारा वादिया के हिस्से में आये भूखण्ड पर अनाधिकृत रूप से आधिपत्य करके निर्माण करने की धमकी दी जा रही है प्रतिवादी पक्ष को वादिया के भूखण्ड पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है अतः वादिया उक्त संपत्ति में बंटवारा कराने की अधिकारी हैं।

12. इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष का बहस के दौरान कथन रहा है कि विवादित संपत्ति का बाहमी बंटवारा वादिया के पति के समय उनकी सहमति से हो गया था, वादिया को उसके पिता पसंद नहीं करते थे न वादिया विवादित संपत्ति में रहती थी, वादिया हेमसिंह की मृत्यु के पश्चात् विवादित संपत्ति में आकर रहने लगी है। वादिया ने वाद पत्र में जिस संपत्ति का वर्णन किया है उसमें स्व. तोताराम का 1/4 भाग, उसके वारिसों को प्राप्त हुआ, जो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 हैं। वादिया का उक्त संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है अतः वादिया कोई बंटवारा कराने की अधिकारिणी नहीं है।

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

13. उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

14. प्रस्तुत प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आयी है उसका अवलोकन किया जावे तो वादिया पी.डब्ल्यू. 1 मुन्नीदेवी ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र के अभिवचनों को दोहराया है व नक्शा संलग्न दावा प्र. 1, व विवादित आराजीयात की जमाबन्दी प्र. 2 को प्रदर्शित कराया गया है जिरह में उक्त गवाह ने उक्त आवासीय व कृषि संपत्ति का बाहमी बंटवारा हो जाना बताया है। इसी प्रकार वादी के साक्षी पी.डब्ल्यू. 2 भगवान सिंह ने विवादित संपत्ति वादिया एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष थोला की होना, जिसे थोला के बाद उसके उत्तराधिकारीगण तोता, बाबू, पीतम, हेमसिंह द्वारा प्राप्त करना, व नक्शा संलग्न वाद पत्र में लाल रंग से सीमांकित संपत्ति वादिया के स्वामित्व में आना, जिसका उपयोग उपभोग वादिया द्वारा अपने पिता हेमसिंह के समय से ही करते आना बताया है। जिरह में इस गवाह ने अपने सामने थोला ने व उनके लड़कों के मध्य विवादित संपत्ति बावत् कोई बंटवारा नहीं होना बताया है।

15. प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसमें डी.डब्ल्यू. 1 साहब सिंह प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र में अपने द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा में वर्णित अभिवचनों को दोहराया है व जिरह के दौरान विवादित संपत्ति थोला के मरने के बाद तोता, बाबू, पीतम हेमसिंह के नाम आना बताया है इस गवाह ने प्र. 1 में लाल रंग से दिखायी सम्पूर्ण संपत्ति मुन्नीदेवी के हिस्से में आने के तथ्य को गलत बताया है व प्र. ए 3 में रंग पीला, लाल, हरा, कत्थई, नीला से दिखायी गयी संपत्ति को संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति होने से इंकार किया है।

16. इस प्रकार प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से जो साक्ष्य आयी है उसके अनुसार विवादित संपत्ति पक्षकारान के पूर्व पुरूष से प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा अपना-अपना आधिपत्य होना बताया है।

17. परिशिष्ट **"अ"** संलग्न नक्शा में वर्णित आवासीय संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में विचार करें तो उक्त संपत्ति पर पक्षकारान ने अपना-अपना आधिपत्य होना तो बताया है किन्तु उसके संबंध में पत्रावली पर जो दस्तावेजीय साक्ष्य आयी है उसमें वादी पक्ष द्वारा मात्र नक्शा प्र. 1 प्रस्तुत किया गया है एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से यादनामा प्रदर्श ए4/1 पेश किया गया है यादनामा प्र.ए 4/1 के अवलोकन से दो खाली भूखण्ड ईश्वरी पुत्र रामभरोसी द्वारा दिनांक 05.05.1995 को जगन्नाथ को बेचे जाना प्रकट हो रहा है

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

किन्तु उक्त भूखण्डों को खरीदने का कोई पंजीकरण कराया हो, इस तथ्य के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यादनामा के जरिए भूखण्ड विक्रय करने वाले व्यक्ति ईश्वरी के पास उक्त भूखण्ड को बेचने का किस प्रकार से अधिकार प्राप्त था।

18. इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 'अ' संलग्न नक्शा में वर्णित सम्पत्ति को पक्षकारान् द्वारा उनके पूर्व पुरुष से प्राप्त होने के आधार पर उनका हिस्सा होना बताया है किन्तु पत्रावली पर किसी भी पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित परिशिष्ट 'अ' संलग्न नक्शे की सम्पत्ति पक्षकारान् के पूर्व पुरुष थोला को किस प्रकार प्राप्त हुई। मात्र अभिवचनों अथवा मौखिक साक्ष्य के आधार पर व पक्षकारान् के वहॉ पर रहने मात्र से किसी भी व्यक्ति का उक्त सम्पत्ति में विधिक स्वामित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अभिवचनों व मौखिक साक्ष्य की पुष्टि दस्तावेजीय साक्ष्य से होना आवश्यक है। इस प्रकार वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित परिशिष्ट 'अ' संलग्न नक्शा की सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किए जाने के कारण उक्त सम्पत्ति पक्षकारान् के पैतृक, संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति प्रमाणित करने में वादी पक्ष असफल रहा है, अतः वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित परिशिष्ट 'अ' संलग्न नक्शा में दर्शित सम्पत्ति पक्षकारान् के पैतृक, संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति होना प्रमाणित नहीं होने से विवाद्यक संख्या 1, वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>विवाद्यक सं. 2</u>

19. इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पक्ष पर रखा गया है, इन विवाद्यक के माध्यम से वादी पक्ष् को यह साबित करना है कि विवादित संपत्ति का वादी बंटवारा कराने का अधिकारी है ?

20. इन विवाद्यक के संबंध में बहस के दौरान अधिवक्ता वादिया का कथन रहा है कि विवादित संपत्ति पक्षकारान के पूर्व पुरूष थोला की संपत्ति थी, जो वादिया के पिता एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 7 व प्रतिवादी सं. 8 के पति को विरासत में प्राप्त हुई थी, उक्त संपत्ति में वादी एवं प्रतिवादी पक्ष का पारिवारिक समझौता अनुसार बाहमी बंटवारा कर उपयोग उपभोग करते रहे। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 द्वारा वादिया के हिस्से की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है अतः वादिया उक्त संपत्ति में बंटवारा कराने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

21. इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष का बहस के दौरान कथन रहा है कि विवादित संपत्ति का बाहमी बंटवारा वादिया के पति के समय उनकी सहमति से हो गया था, विवादित आराजी का पूर्व में बंटवारा बाहमी हो चुका है फिर भी वादिया के मन में यदि बेइमानी है तो प्रतिवादीगण आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कराने को सहमत हैं।

22. उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

23. प्रस्तुत प्रकरण में विवाद्यक सं. 1 वादी पक्ष के विरूद्ध निर्णित किया गया है एवं परिशिष्ट **"अ"** संलग्न नक्शा में वर्णित संपत्ति का किसी भी पक्षकार द्वारा स्वामित्व का दस्तावेज पेश नहीं किये जाने के कारण उक्त संपत्ति उनकी पैतृक, संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति होना प्रमाणित नहीं माना है।

24. पत्रावली में दोनों पक्षों की ओर से जो साक्ष्य आयी है उसके अनुसार विवादित संपत्ति उनके पूर्व पुरूष से प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा अपना-अपना आधिपत्य होना बताया है। इस संबंध में पत्रावली पर आयी दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादी पक्ष की ओर से जमाबन्दी प्र. 2 पत्रावली में पेश की गयी है जिस जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिस जमाबन्दी में खसरा नंबर 807, 813, 890, 897, 899, 906, 907, 909, 925, 928 कुल रकवा 10, कुल बीघा 13, रकवा 17 बिस्वा में जगन्नाथ, साहबसिंह, भूरी, त्रिवेणी, विशनदेई, चमेली, जो कि तोता के वारिसान हैं, व-हिस्सा 1/4, एवं बाबू, प्रतिवादी सं. 7 व-हिस्सा 1/4, मुन्नी देवी वादिया, व-हिस्सा 1/4, नथिया प्रतिवादी सं. 8 व-हिस्सा 1/4 भाग के खातेदार होना प्रमाणित हो रहा है। इस प्रकार परिशिष्ट "ब" में वर्णित संपत्ति जो कि कृषि भूमि है उसमें पक्षकारान का 1/4 हिस्सा होना प्रमाणित होता है। जिस कृषि भूमि का बंटवारा कराने का वादी अधिकारी पाया जाता है। अतः विवाद्यक सं. 2 वादी के हक में निर्णित किया जाता है।

अनुतोष:-

25. चूंकि विवाद्यक सं. 1 वादी के विरूद्ध निर्णित हुआ है एवं विवाद्यक सं. 2 वादी के पक्ष में निर्णित हुआ है व वादी को परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा कराने का अधिकारी पाया गया है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या कृषि भूमि से संबंधित विभाजन का वाद सुनने का इस न्यायालय को श्रवणाधिकार है?

26. इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 19263/2024 विधिक प्रतिनिधि सांवर मल शर्मा बनाम श्रीमती सीमा

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10/02/2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई दावा कृषि भूमि के विभाजन का सिविल न्यायालय में हो और उसमें अगर खातेदारी अधिकारों के संबंध में विवाद नहीं है तो ऐसे दावे सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। हस्तगत प्रकरण में भी कृषि भूमि के संबंध में पारिवारिक समझौता हो रखा है जो जमाबन्दी प्र. 2 में दर्शाया हुआ है अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में इस न्यायालय को उक्त वाद सुनने का श्रवणाधिकार होना पाया जाता है व पक्षकारान को उक्त कृषि भूमि में बंटवारा कराने का अधिकारी पाया जाता है।

-: आदेश :-

27. परिणामस्वरूप वादिया मुन्नी देवी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार कर इस आशय का डिक्री किया जाता है कि वाद पत्र की मद सं. 2 के **परिशिष्ट** "ब" में वर्णित कृषि आराजी जो कि पक्षकारान के पूर्व पुरूष थोला की होना बताया गया है, में वादिया का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6, का 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 7 का 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 8, का 1/4 हिस्सा, होने के आधार पर विभाजन कराने के अधिकारी हैं अतः उक्तानुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

28. वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित परिशिष्ट **'अ' संलग्न** नक्शा वाद पत्र में दर्शित आवासीय सम्पत्ति के विभाजन के संबंध में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

29. खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे, नियमानुसार इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे।

(संजीव मागो)
जिला न्यायाधीश, धौलपुर

30. यह निर्णय व आदेश आज दिनांक 23/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(संजीव मागो)
जिला न्यायाधीश, धौलपुर

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
23.03.2026 16:56
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"